संख्या-462/एक-4-2023

प्रेषक,

सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 23 मई, 2023

विषय- राजस्व न्यायालयों में योजित/लम्बित वादों के त्वरित/समयबद्ध निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पी०आई०एल० संख्या - 53556/2015 यशपाल सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-03-2016 के अनुपालन में, शासनादेश संख्या-1285 / एक-4-2016-42बी-4/2015, दिनांक 14-12-2016 के द्वारा राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु विभिन्न श्रेणी के पदों यथा-अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के 60 पद, उपजिलाधिकारी (न्यायिक) के 305 पद तथा तहसीलदार (न्यायिक) के 243 पद सृजित किये गये हैं तथा यह निर्देश दिये गये हैं कि उक्त पदों पर तैनात अधिकारियों से न्यायिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायेगा। तद्कम में शासनादेश दिनांक 20-01-2020 तथा परिषदादेश दिनांक 24-02-2020 के द्वारा भी राजस्व न्यायिक कार्यों हेतु तैनात किये गये अधिकारियों से न्यायिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद यह संज्ञान में आया है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में, मा० न्यायालय द्वारा वादों के समयबद्ध निस्तारण हेतु पारित आदेशों के अनुपालन में भी सम्बन्धित राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत वादों का समयांतर्गत निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे माट उच्च न्यायालय के समक्ष निरंतर अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह भी संज्ञान में आया है कि राजस्व न्यायिक अधिकारियों से अभी भी जनपद स्तर पर न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य लिये जा रहे हैं तथा कतिपय राजस्व न्यायालयों में अधिकारियों की तैनाती भी नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में, राजस्व न्यायालयों में योजित/लंबित राजस्व वादों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

3- उल्लेखनीय है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित अवमानना (सिविल) संख्या-811 / 2023 मीना देवी बनाम श्री राज कपूर, नायब तहसीलदार, तहसील आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च द्वारा अपर मुख्य सचिव को प्रतिपक्षी संख्या-2 के रूप में इमप्लीट करते हुए दिनांक 29-03-2023 को निम्न आदेश पारित किया गया है:-

"After impleadment, issue notice to respondent no.2 to explain as to why contempt proceedings be not initiated against him for standing as an impediment in compliance of the judgment and order dated 20.07.2022 passed by this. Court in Matter Under Article 227 No.2458 of 2022 in re:

Meena Devi @ Meena vs. State of U.P. and others and as to why despite various orders that have been passed by the writ Courts pertaining to creation of separate permanent revenue judicial service cadre why the said cadre has not been formed, the impediment there of, and as to how he intends to remedy the situation which is arising day in and day out before this Court whereby the orders passed by the writ Courts for deciding of the revenue matters pending since long are not being decided and the litigants are repeatedly approaching this Court on original side praying for disposal of their suits and others cases which are filed before the revenue officials and which are not being decided within the time fixed by the Courts and by statute.

List as fresh on the date to be fixed by the office in the notice."

पुन: प्रश्नगत अवमानना वाद में दिनांक 05-05-2023 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

Shri Sunil Bajpai, Additional Chief Standing Counsel appearing for the respondents states that he has received instructions from the Additional Chief Secretary, Revenue in this matter.

He prays for and is granted three weeks' time to file an affidavit of compliance.

List this case within three weeks as fresh.

In other connected matters, learned Additional Chief Standing Counsel would file affidavit of compliance which has been made in each of the respective petitions

4- उपर्युक्त अवमानना वाद से सम्बद्ध 28 अवमानना याचिकाओं में से मात्र 03 में ही पीठासीन अधिकारियों द्वारा, मा उच्च न्यायलय द्वारा वादों के समयबद्ध निस्तारण हेतु पारित आदेशों के अनुपालन में Compliance Affidavit मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा राजस्व वादों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के साथ ही मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वादों के समयबद्ध निस्तारण हेतु पारित आदेशों तक का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो उनके द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती जा रही घोर लापरवाही तथा अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण का द्योतक है।

5- उपर्युक्त स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त, शासन द्वारा राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है-

(1) सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्त राजस्व न्यायालय कियाशील रहें तथा किसी न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में, उस न्यायालय के वाद अन्य न्यायालय में अंतरित न किये जायं अपितु रिक्त पद पर स्थायी तैनाती होने तक, अपने स्तर से उक्त न्यायालय हेतु पीठासीन अधिकारी का प्रभार अन्य समकक्ष अधिकारी को दे दिया जाय।

(2) तहसीलदार (न्यायिक) के रिक्त पद पर स्थायी तैनाती होने तक, न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) हेतु अपने स्तर से किसी उपयुक्त नायब तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात कर दिया जाय तथा ऐसे अधिकारी से न्यायिक कार्य के अतिरिक्त

अन्य कोई कार्य न लिया जाय। ऐसी स्थिति में, न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) को उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 के वाद आवंटित नहीं किये जाएंगे।

(3) यह सुनिश्चित किया जाय कि उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 के अंतर्गत योजित निर्विवादित वाद (Uncontested mutation case) किसी भी दशा में निर्धारित समय-सीमा (45 दिन) के उपरांत लंबित न रहें।

(4) राजस्व वादों के वितरण की व्यवस्था इस प्रकार बनायी जाय कि कुल पंजीकृत राजस्व वादों के 30 प्रतिशत वादों का निस्तारण राजस्व प्रशासनिक अधिकारियों के प्रभार वाले न्यायालय मे तथा 70 प्रतिशत वादों का निस्तारण, राजस्व न्यायिक अधिकारियों के प्रभार वाले न्यायालय में सुनिश्चित हो सके।

(5) राजस्व न्यायिक कार्यों हेतु तैनात किये गये राजस्व न्यायिक अधिकारियों से किसी भी दशा में न्यायिक कार्य कें अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी के स्तर से बार एसोसिएशन एवं बेंच के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ प्रतिमाह नियमित बैठक सुनिश्चित की जाय, जिससे राजस्व न्यायालयों में कार्य बहिष्कार / हड़ताल की स्थिति न उत्पन्न होने पाये एवं न्यायिक कार्य बाधित न हो।

(7) मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष त्वरित एवं शीघ्र सुनवाई के सम्बन्ध में योजित रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा वादों के समयबद्ध निस्तारण हेतु पारित आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा दिन / प्रतिदिन की तिथि नियत कर सुनवाई करते हुए उक्त वादों का प्रत्येक दशा में समयांतर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

(8) मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से कार्य-योजना बनाकर, विशेष अभियान के रूप में राजस्व वादों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय तथा उक्त कार्य में शिथिलता वरतने वाले पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय तथा उक्त स्थिति से शासन को भी अवगत कराया जाय।

(9) राजस्व परिषद स्थित न्यायालयों में भी उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा यथासंभव वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
अपर मुख्य सचिव